

क्र.सं.	आज्ञा पत्र	
3.3.25	पत्रावली पेश। क्र. 100/2024 का सं. 38/24 आज्ञा सं. 100/2024 का सं. 38/24 दिनांक 4.4.2025 पेश। सं. 100/2024 का सं. 38/24	
4.4.25	पत्रावली पेश। प्रकरण में शेष रैस्पोंडेंट्स की तामील हेतु इस न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 9(3) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की पालना में रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भिजवाये गये थे। आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार समन जारी करने की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक अथवा प्रपत्र रसीद प्राप्त नहीं होने के कारण तामील पर्याप्त मानी जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 15.5.25 को पेश हो।	मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
15.5.25	पत्रावली पेश। क्र. 100/2024 का सं. 38/24 आज्ञा सं. 100/2024 का सं. 38/24 दिनांक 23.5.25 को पेश हो।	मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
23.5.25	पत्रावली पेश। क्र. 100/2024 का सं. 38/24 आज्ञा सं. 100/2024 का सं. 38/24 दिनांक 17.6.25 को पेश हो।	मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
17.6.25	पत्रावली पेश। क्र. 100/2024 का सं. 38/24 आज्ञा सं. 100/2024 का सं. 38/24 दिनांक 23.6.25 को पेश हो।	मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
23.6.25	पत्रावली पेश। अपीलाट/रैस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में फारित आदेश के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलाट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरजीब तकमील दाखिल दफतर हो।	मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर